न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

– संशोधन समाविष्ट कार्य विभाजन आदेश –

क्रमांकः सी.जे.एम./2026 कोरबा, दिनांक 25-06-2026

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य विभाजन आदेश क्रमांक सी०जे०एम०/2026 कोरबा, दिनांक 22-06-2026 में निम्नानुसार संशोधन समाविष्ट करती हूं, जो कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोरबा के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगाः-

1. **आरक्षी केन्द्र बालकोनगर सहित चौकी रजगामार, कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.) से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, जिला कोरबा (छ०ग०) के समक्ष प्रस्तुत होंगे।**
2. **आरक्षी केन्द्र सिटी कोतवाली सहित चौकी मानिकपुर, कोरबा जिला- कोरबा (छ.ग.) से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण श्री सत्यानंद प्रसाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा, जिला कोरबा छ०ग० के समक्ष प्रस्तुत होंगे।**

25/06/2026

(कु० मयूरा गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोरबा, जिला- कोरबा (छ.ग.)

Principal District & Sessions Judge
Korba (C.G.)